सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 13, मंगलवार, *शाके 1946*- मार्च 04, 2025 *Phalguna 13, Tuesday, Saka 1946- March 04, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 03, 2025

जी.एस.आर.115 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियंता और सहबद्ध पद सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियंता और सहबद्ध पद सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) नियम 19 का संशोधन. – राजस्थान अभियंता और सहबद्ध पद सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968 के विद्यमान नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"19. आवेदनों की संवीक्षा और परीक्षाएं. – (1) आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें, उनके द्वारा अस्वीकार किये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह इन नियमों में यथा-उपबन्धित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। आयोग, बाद में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के ही आवेदनों की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हित हों और केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

(2) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा और उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने ऐसे अंक प्राप्त किये हैं जो आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार नियत किये जायें, आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार के लिए अंकों का आबंटन, चयन के प्रयोजन के लिए विचार किये गये कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं होगा।

(3) लिखित परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाये।

(4) किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।"

[सं. एफ. 1(19) डीओपी/ए-II /84]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 03, 2025

G.S.R.115 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) Rules, 1968, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 19.- The existing rule 19 of the Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) Rules, 1968, shall be substituted by the following, namely:-

"19. **Scrutiny of applications and examinations.-** (1) The applications received by the Commission which are found to be incomplete shall be rejected by them. Before appearing in the examination, it should be ensured by the candidate himself/herself that he/she fulfils the conditions in regard to age, educational qualifications, experience, if any, etc. as provided in these rules. Being allowed to take the examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The Commission shall scrutinise later on the applications of such candidates only as qualify in the written examination and shall call only the eligible candidates for interview.

(2) The candidates shall have to appear in the written examination and the candidates who obtained such marks as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by the Commission for interview. The candidates summoned by the Commission for interview shall have to appear in interview. The allocation of marks for interview shall not be more than 10% of the total marks taken into account for the purpose of selection.

(3) The Scheme and Syllabus of written examination shall be such as may be decided by the Commission, from time to time.

(4) The decision of the Commission regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final."

[No. F. 1(19)DOP/A-II/84]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.